[2018] 14 एस. सी. आर. 676

ए.

मेसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

बनाम

भारत का संघ

(2018 की सिविल अपील संख्या 11866)

बी.

05 दिसंबर, 2018

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और वाइन सारन**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

सी.

एस।34 – आवेदन के तहत-दाखिल करने में 514 दिनों की देरी-देरी की माफी-यदि अनुमत हो-आयोजितःएस के आधार पर।34(3), मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ न्यायालय का सहारा लेना उसमें निर्धारित अवधि से अधिक नहीं हो सकता है, यानी तीन महीने-इसके लिए परंतुक इस अवधि को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर तीस दिनों की और अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति देता है-परंतुक में 'लेकिन उसके बाद नहीं' परंतुक विधायी इरादे को स्पष्ट करते हैं कि तीन महीने की वैधानिक अवधि को तीस दिनों तक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और इससे अधिक नहीं-सीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पर कोई आवेदन नहीं है।34 – तथापि, एस के प्रावधान।14 आवेदन यू/एस पर सीमा अधिनियम लागू होगा।34 – वर्तमान मामले में, भले ही एस का लाभ हो।14 एस के परंतुक को ध्यान में रखते हुए सीमा परंतुक गया है।34, तीन महीने की सीमा अवधि से परे केवल 30 दिनों को ही माफ किया जा सकता है-आवेदन दाखिल करने में अभी भी 131 दिनों की देरी होगी, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है-प्रशासनिक कठिनाइयाँ निर्धारित वैधानिक अवधि से ऊपर और उससे आगे की देरी को माफ करने का एक वैध कारण नहीं होंगी।34 – उच्च न्यायालय यू/एस आवेदन दायर करने में 514 दिनों की देरी को माफ करने में उचित नहीं था।34 – आवेदन यू/एस।34 इस आधार पर खारिज किया जाता है कि यह सीमा-सीमा अधिनियम, 1963-एस. एस. द्वारा वर्जित है।5 और 14.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

जी.

पकड़ना:**1.** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, **1996** की धारा **34** में यह प्रावधान है कि मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा **(2)** और उप-धारा **(3)** के अनुसार ऐसे पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है। उप-धारा **(2)** किसी पुरस्कार को अलग रखने के आधार से संबंधित है।अ**.**

एच.

676 ए.

677

मेसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ए

धारा **34** की उप-धारा **(3)** में उल्लिखित अवधि के बाद दायर किया गया आवेदन उस उप-धारा के अनुसार आवेदन नहीं होगा।धारा **34 (3)** के आधार पर, मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ न्यायालय का सहारा निर्धारित अवधि से अधिक नहीं हो सकता है।धारा **34** की उप-धारा **(3),** जिसे परंतुक के सहपठित पढ़ा जाता है, यह स्पष्ट करती है कि उप-धारा **(2)** में उल्लिखित आधारों में से किसी एक पर परंतुक को अलग करने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त होता है।परंतुक इस अवधि को पक्ष द्वारा आवेदन दायर करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर तीस दिनों की और अवधि के लिए बढ़ाने की परंतुक देता है। विधानमंडल का इरादा परंतुक में "लेकिन उसके बाद नहीं" परंतुक ों के उपयोग से स्पष्ट होता है।ये शब्द यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि जहां तक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर करने की सीमा का संबंध है, निर्धारित वैधानिक अवधि तीन महीने की है जिसे तीस दिनों (और अधिक नहीं) की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि न्यायालय को संतोष हो कि देरी के लिए पर्याप्त कारण प्रदान किए गए थे।**[**पैरा **8] [681-**सी, जी-एच**]**

बी.

सी.

डी.

2. सीमा अधिनियम, **1963** की धारा **5** किसी भी अपील या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि के विस्तार से संबंधित है, जो न्यायालय के समाधान के अधीन है कि अपीलार्थी या

आवेदक के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने या आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था।सीमा अधिनियम की धारा **5** का **1996** के अधिनियम की धारा **34** के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने वाले आवेदन पर कोई आवेदन नहीं है। **[**पैरा **9] [682-**एफ**-**जी**]**

ई.

एफ.

भारत संघ बनाम लोकप्रिय निर्माण कंपनी **(2001)**

8 एससीसी **470:[2001] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 619-**निर्भर।

3. सीमा अधिनियम की धारा **14** कुछ शर्तों की संतुष्टि के अधीन**,** अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय में **"**ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय के बहिष्कार**"** से संबंधित है।**1996** के अधिनियम की धारा **34** की योजना और भाषा से**,** सीमा अधिनियम की धारा **14** की प्रयोज्यता को बाहर करने का विधायिका का इरादा स्पष्ट नहीं है।विधायी आशय को ध्यान में रखते हुए**,** सीमा अधिनियम**, 1963** की धारा **14** के प्रावधान धारा **34** के तहत प्रस्तुत आवेदन पर लागू होंगे।

जी.

एच.

1996 के अधिनियम का च या एक मध्यस्थ ए**.** डब्ल्यू**.** आर**.** डी**.** को अलग करना।**” [**पैरा **10] [685-**डी**-**ई**]**

समेकित अभियांत्रिकी उद्यम बनाम प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग (2008) 7 एस. सी. सी. 169:

[2008] 5 एस**.** सी**.** आर**. 1108-**पर निर्भर।

बी.

4. वर्तमान मामले में**, 1996** अधिनियम की धारा **34** के तहत आवेदन **30** जनवरी **2015** को जिला न्यायाधीश के समक्ष **27** अक्टूबर **2014** के मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। **12** फरवरी **2016** को जिला न्यायाधीश ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया।यह केवल **28** मार्च **2016** को था कि प्रत्यर्थी ने **514** दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष **1996** अधिनियम की धारा

34 के तहत एक आवेदन दायर किया था।**1996** के अधिनियम की धारा **34** के परन्तुक के साथ उप**-**धारा **(3)** के एक सादे पठन से पता चलता है कि धारा **34** की उप**-**धारा **(2)** में उल्लिखित आधारों पर परंतुक को अलग करने के लिए आवेदन तीन महीने के भीतर किया जा सकता है और पर्याप्त कारण दिखाने पर ही अवधि को तीस दिनों की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है**,** उसके बाद नहीं।भले ही सीमा अधिनियम की धारा **14** का लाभ प्रत्यर्थी को दिया जाता है**,** फिर भी आवेदन दाखिल करने में **131** दिनों की देरी होगी।यह **1996** के अधिनियम की धारा **34** के परंतुक के साथ पठित उप**-**धारा **(3)** में परंतुक सख्त समय**-**सीमा से परे है। **131** दिनों की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है।ऐसा करना**,** जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया**,** एक स्पष्ट वैधानिक जनादेश का उल्लंघन है।**1996** के अधिनियम की धारा **34** के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित अवधि से ऊपर और उससे आगे की देरी को माफ करने के लिए प्रशासनिक कठिनाइयाँ एक वैध कारण नहीं होंगी। **[**पारस **11,13** और **15] [685-**जी**-**एच**; 686-**जी**-**एच**; 687-**ए**-**बी**; 688-**डी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

भारत संघ बनाम टेको त्रिची इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स

(2005) 4 एससीसी **239:[2005] 2** एससीआर **983-**प्रतिष्ठित।

5. इसलिए**,** धारा **34 (3)** में निर्धारित सीमा की अवधि को देखते हुए**,** उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा आवेदन दायर करने में **514** दिनों की देरी को माफ करना उचित नहीं माना।धारा **34** के तहत याचिका इस आधार पर खारिज की जाती है कि यह सीमा द्वारा वर्जित है।**[**पैरा **16] [688-**ई**-**एफ**]** ए

जी.

एच.

679

मेसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ए

संदर्भित निर्णय

[2001] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 619** पर निर्भर

पैरा **9**

[2008] 5 एससीआर **1108**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **10 [2005] 2** एस**.** सी**.** आर**. 983** विशिष्ट पैरा **15**

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2018 की सिविल अपील संख्या 11866।

2016 के जी. ए. सं. 958 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.04.2016 के निर्णय और आदेश से।

सी. ए. सुंदरम, वरिष्ठ अधिवक्ता, राकेश सिन्हा, सौरव घोष, सम्राट सेनगुप्ता, सुश्री सौम्या दत्ता, देबायन घोष, अधिवक्तागण , अपीलार्थी के लिए।सुश्री किरण भारद्वाज, सुश्री प्रणय रंजन, सुमित तेतरवाल, वेंकटेश, आर. बी. यादव, वरुण सिंह, सुश्री निष्ठा कुमार, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्तागण , प्रत्यर्थी के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

1. वर्तमान अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले उद्भूत हुई है है जिसके द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ('1996 अधिनियम') की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने में 514 दिनों की देरी को माफ करने के लिए प्रतिवादी के आवेदन की अनुमति दी गई थी।1

ई.

2. अपीलार्थी , जो एक ठेकेदार है, ने सुनामी प्रभावित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थायी आश्रयों की 821 इकाइयों के निर्माण के लिए भारत संघ के साथ एक समझौता किया, जिसका प्रतिनिधित्व कार्यकारी अभियंता, अंडमान सेंट्रल डिवीजन, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी, पोर्ट ब्लेयर ने किया।2 कार्य के दायरे में एकल मंजिला स्थायी आश्रयों का निर्माण शामिल था, जिसमें आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता स्थापना और आंतरिक विद्युतीकरण शामिल थे।निर्माण कार्य के निष्पादन के संबंध में मतभेदों के कारण, पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।27 अक्टूबर 2014 को, मध्यस्थ ने अपीलार्थी के पक्ष में एक निर्णय दिया और प्रत्यर्थी को 1 जनवरी 2009 से वास्तविक भुगतान तक प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के साथ 9,96,98,355/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।प्रत्यर्थी को 31 अक्टूबर 2014 को पुरस्कार की प्रति प्राप्त हुई।

एफ.

जी.

1 उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल 2016 को फैसला सुनाया। 2 समझौते की तारीख 5 जनवरी 2006 है।

एच.

3. पुरस्कार से व्यथित, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए 30 जनवरी 2015 को जिला न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर के समक्ष 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन 3 दायर किया।मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन 4 दायर किया था जिसमें प्रत्यर्थी के खिलाफ बैंक गारंटी के भुनाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था और आवेदन को प्रत्यर्थी द्वारा विधिवत चुनौती दी गई थी।

बी.

4. 12 फरवरी 2016 को जिला न्यायाधीश ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया।जिला न्यायाधीश ने टिप्पणी की:

"...मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान के अनुसार, जब एक ही भाग के तहत किसी भी न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता समझौते के संबंध में कोई आवेदन किया गया है, तो उस न्यायालय को केवल मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र होगा और उस समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदन और मध्यस्थता कार्यवाही उस न्यायालय में की जाएगी और किसी अन्य न्यायालय में नहीं।

सी.

डी.

इस मामले में पक्षों ने कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता दी है। इस प्रकार, मेरे लिए यह स्पष्ट है कि इस अपीलार्थी न्यायालय के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 42 के अनुसार इस अपील पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

ई.

5. 28 मार्च 2016 को, प्रत्यर्थी ने 27 अक्टूबर 2014 के मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 34 के तहत एक आवेदन 5 दायर किया, साथ ही 514 दिनों की देरी की माफी के लिए एक आवेदन 6 भी दायर किया।प्रत्यर्थी ने देरी

को इस आधार पर उचित ठहराया कि गलत मंच के समक्ष आवेदन दायर करने में एक वास्तविक गलती हुई और प्रत्यर्थी के वकील ने देरी की, जिसके कारण निर्धारित समय के भीतर आवश्यक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया।

एफ.

6. 27 अप्रैल 2016 को, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और 514 दिनों की देरी को माफ कर दिया।उच्च न्यायालय ने कहाः

जी.

3 2008 का ओ. ए. No.2/2015 4 ए. पी. सं. 91 5 ए. पी. सं. 224/2016

6 ए. पी. में जी. ए. सं. 958/2016 सं. 224/2016 ए

एच.

681

मेसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

“आवेदक/याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने और देरी की माफी के लिए आवेदन पर विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन दाखिल करने में देरी की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है, जो 2016 का एपी नंबर 224 है और इस तरह देरी को माफ कर दिया जाता है।

7. इस न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठाया गया है वह यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश को धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने में प्रत्यर्थी द्वारा 514 दिनों की देरी को माफ करने में उचित ठहराया गया था।इस मुद्दे से निपटने में, इस न्यायालय को यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 5 और धारा 14 का लाभ प्रत्यर्थी को दिया जा सकता है, और यदि ऐसा है, तो क्या 1996 के अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित विशिष्ट वैधानिक सीमा से परे देरी को माफ किया जा सकता है।8. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 में प्रावधान है

बी.

सी.

इस प्रकारः

“34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।—

डी.

(1) माध्यस्थम् अधिनिर्णय के विरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन द्वारा लिया जा सकता है।

(3) अलग रखने के लिए आवेदन उस तारीख से तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं किया जा सकता है जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ था या, यदि धारा 33 के तहत अनुरोध किया गया था, उस तारीख से जिस दिन उस अनुरोध का निपटारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा किया गया थाः

ई.

बशर्ते कि यदि न्यायालय संतुष्ट हो कि आवेदक को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह तीस दिनों की आगे की अवधि के भीतर आवेदन पर विचार कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं।"

एफ.

धारा 34 में प्रावधान है कि मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ न्यायालय का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है।उप-धारा (2) किसी पुरस्कार को अलग रखने के आधारों से संबंधित है। धारा 34 की उप-धारा 3 में उल्लिखित अवधि के बाद दायर किया गया आवेदन उस उप-धारा के अनुसार आवेदन नहीं होगा।धारा 34 (3) के आधार पर, मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ न्यायालय का सहारा निर्धारित अवधि से अधिक नहीं हो सकता है।धारा 34 की उप-धारा (3), जिसे परंतुक के सहपठित पढ़ा जाता है, यह बहुत स्पष्ट करती है कि परंतुक करने के लिए आवेदन

जी.

एच.

उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों में से एक पर अधिनिर्णय को उस तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर करना होगा जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त होता है।परंतुक इस अवधि को पक्ष द्वारा आवेदन दायर करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर तीस दिनों की और अवधि के लिए बढ़ाने की परंतुक देता है।विधानमंडल का आशय परंतुक में "लेकिन उसके बाद नहीं" परंतुक ों के उपयोग से स्पष्ट होता है।ये शब्द यह बहुत स्पष्ट करते हैं कि जहां तक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन दायर करने की सीमा का संबंध है, निर्धारित वैधानिक अवधि तीन महीने की है जिसे तीस दिनों (और अधिक नहीं) की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि न्यायालय को संतोष हो कि देरी के लिए पर्याप्त कारण प्रदान किए गए थे।

बी.

सी.

9. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 इस प्रकार प्रदान करती हैः

“5. कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार।—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन के अलावा कोई भी अपील या कोई भी आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपील को प्राथमिकता नहीं देने या ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था।स्पष्टीकरण —यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक को निर्धारित अवधि का पता लगाने या गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश, व्यवहार या निर्णय से गुमराह किया गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त कारण हो सकता है।”

डी.

ई.

सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 किसी भी अपील या आवेदन के लिए निर्धारित अवधि के विस्तार से संबंधित है, जो न्यायालय के समाधान के अधीन है कि अपीलार्थी या आवेदक के पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने या आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था।सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 में 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने वाले आवेदन पर कोई आवेदन नहीं है। यह इस न्यायालय द्वारा संघ में अपने निर्णय में तय किया गया है

एफ.

इंडिया बनाम पॉप्युलर कंस्ट्रक्शन कंपनी **7,** जहाँ इसका आयोजन निम्नानुसार था **-**

जी.

“जहाँ तक 1996 के अधिनियम की धारा 34 की भाषा का संबंध है, महत्वपूर्ण परंतुक ों का उपयोग उप-धारा (3) के परंतुक में "लेकिन उसके बाद नहीं" किया जाता है।हमारी राय में, यह वाक्यांश सीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के अर्थ के भीतर एक स्पष्ट बहिष्करण के बराबर होगा, और इसलिए धारा के अनुप्रयोग पर रोक लगाएगा।

7 (2001) 8 पैरा 12 और 14 ए पर एस. सी. सी. 470

एच.

683

मेसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

5 उस अधिनियम से। संसद को और आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी।यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि न्यायालय परंतुक के तहत विस्तारित अवधि से परे पुरस्कार को अपास्त करनाने के लिए एक आवेदन पर विचार कर सकता है, परंतुक को "लेकिन उसके बाद नहीं" पूरी तरह से अनुचित बना देगा।व्याख्या का कोई भी सिद्धांत इस तरह के परिणाम को उचित नहीं ठहराएगा।

...यहाँ 1996 के अधिनियम का इतिहास और योजना इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि किसी पुरस्कार को चुनौती देने के लिए धारा 34 के तहत निर्धारित समय-सीमा सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय द्वारा पूर्ण और विस्तार योग्य नहीं है।

बी.

10. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 इस प्रकार प्रदान करती हैः

सी.

“14. अधिकारिता के बिना न्यायालय में ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय का बहिष्करण। —

(1) किसी भी वाद के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में उस समय के दौरान जिसके दौरान वादी उचित परिश्रम के साथ अभियोजन कर रहा है, प्रतिवादी के खिलाफ एक अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की न्यायालय में हो या अपील या संशोधन की, को बाहर रखा जाएगा, जहां कार्यवाही उसी मुद्दे से संबंधित है और उस न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ है।

डी.

(2) किसी भी आवेदन के लिए सीमा की अवधि की गणना करने में, उस समय के दौरान जिसके दौरान आवेदक उसी राहत के लिए उसी पक्ष के खिलाफ किसी अन्य दीवानी कार्यवाही, चाहे वह पहली बार की न्यायालय में हो या अपील या संशोधन की, पर उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा है, को बाहर रखा जाएगा, जहां ऐसी कार्यवाही पर किसी ऐसे न्यायालय में सद्भावना से मुकदमा चलाया जाता है जो अधिकार क्षेत्र के दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से इसे स्वीकार करने में असमर्थ है।

ई.

एफ.

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXIII के नियम 2 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उप-धारा (1) के प्रावधान उस आदेश के नियम 1 के तहत न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति पर स्थापित एक नए मुकदमे के संबंध में लागू होंगे, जहां ऐसी अनुमति इस

आधार पर दी जाती है कि पहला मुकदमा न्यायालय की अधिकारिता में दोष या समान प्रकृति के अन्य कारण से विफल होना चाहिए।

जी.

स्पष्टीकरण —इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) उस समय को छोड़कर जिसके दौरान एक पूर्व दीवानी कार्यवाही लंबित थी, जिस दिन वह कार्यवाही शुरू की गई थी और जिस दिन यह समाप्त हुई थी, दोनों को गिना जाएगा;

एच.

(ख) अपील का विरोध करने वाले वादी या आवेदक को कार्यवाही का अभियोजन करने वाला माना जाएगा।

(ग) पक्षकारों की गलती या कार्रवाई के कारणों को अधिकार क्षेत्र के दोष के साथ समान प्रकृति का कारण माना जाएगा।"

सीमा अधिनियम की धारा 14 कुछ शर्तों की संतुष्टि के अधीन, अधिकार क्षेत्र के बिना न्यायालय में "ईमानदारी से कार्यवाही करने के समय के बहिष्कार" से संबंधित है।इस प्रश्न का कि क्या सीमा अधिनियम की धारा 14 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर लागू होगी, इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिया गया है

बी.

समेकित अभियांत्रिकी उद्यम बनाम प्रधान सचिव**,**

सिंचाई विभाग 8.इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:"इस स्तर पर यह पता लगाना प्रासंगिक होगा कि क्या 1996 के अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान है, जिसमें सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता शामिल नहीं है। 1996 के अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करने पर इस न्यायालय ने पाया कि उक्त अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों की प्रयोज्यता को बाहर करता हो। इसके विपरीत, इस न्यायालय ने पाया कि धारा 43 सीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू करती है।धारा 34 के तहत कार्यवाही पुरस्कार को चुनौती देने के उद्देश्य से होती है जबकि धारा 43 के तहत निर्दिष्ट कार्यवाही मूल कार्यवाही होती है जिसे न्यायालय में मुकदमे के बराबर माना जा सकता है। इसलिए, सीमा अधिनियम को शामिल करने वाली धारा 43 मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू होगी क्योंकि यह न्यायालय में मुकदमे की कार्यवाही पर लागू होती है।धारा 43 की उप-धारा (4) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि जहां न्यायालय आदेश देती है

कि मध्यस्थता पुरस्कार को अपास्त करना दिया जाए, वहां मध्यस्थता के प्रारंभ और न्यायालय के आदेश की तारीख के बीच की अवधि को इस तरह प्रस्तुत किए गए विवाद के संबंध में कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा अधिनियम, 1963 द्वारा निर्धारित समय की गणना करने में शामिल नहीं किया जाएगा।यदि विवाद के संबंध में किसी भी कार्यवाही के लिए प्रदान की गई सीमा की अवधि की गणना करने में न्यायालय द्वारा निर्णय को अपास्त करना तक मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने के बीच की अवधि को बाहर रखा जाना है, तो यह अभिनिर्धारित करने का कोई उचित कारण नहीं है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान प्रस्तुत किए गए आवेदन पर लागू होंगे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

8 (2008) 7 पैरा 23 ए पर एस. सी. सी. 169

एच.

685

मेसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत, विशेष रूप से जहां 1996 के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं पाया जाता है, जिसमें अधिनियम की धारा 34 के तहत किए गए आवेदन पर सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता शामिल नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल तभी किया जा सकता है जब पीड़ित पक्ष आवेदन करता है।अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।चार महीने की कुल अवधि जिसके भीतर एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन किया जाना है, असामान्य रूप से लंबी नहीं है। 1996 के अधिनियम की धारा 34 अनुचित रूप से दमनकारी होगी, यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे मामले निस्संदेह कल्पनीय हैं जहां कोई पीड़ित पक्ष, उचित परिश्रम और सद्भावना के बावजूद, चार महीने की अवधि के भीतर आवेदन करने में असमर्थ है।1996 के अधिनियम की धारा 34 की योजना और भाषा से, सीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता को बाहर करने का विधायिका का इरादा स्पष्ट नहीं है।यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि सीमा

अधिनियम की धारा 14 सीमा की एक नई अवधि का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि केवल एक निश्चित अवधि के बहिष्करण का प्रावधान करती है।विधायी आशय को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित करना होगा कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के प्रावधान 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पर लागू होंगे।" 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन पर सीमा अधिनियम की धारा 14 के लागू होने के संबंध में कानून की स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है। वर्तमान मामले के तथ्यों को कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति पर लागू करके, हमें यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने में देरी को माफ करने में उचित ठहराया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

11. प्रत्यर्थी ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत 30 जनवरी 2015 को जिला न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर के समक्ष 27 अक्टूबर 2014 के मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।12 फरवरी 2016 को जिला न्यायाधीश ने अधिकार क्षेत्र के अभाव में प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया।यह केवल 28 मार्च 2016 को था कि प्रत्यर्थी ने 514 दिनों की देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया था।

जी.

एच.

12. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर्यमा सुंदरम का तर्क है कि भले ही सीमा अधिनियम की धारा 14 का लाभ 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने में प्रत्यर्थी को दिया जाता है, फिर भी 131 दिनों की देरी होगी जिसे 1996 के अधिनियम की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित विशिष्ट वैधानिक सीमा को देखते हुए माफ नहीं विद्वान जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित सारणीबद्ध चार्ट प्रस्तुत विद्वान हैः

बी.

डिले चार्ट

	Particulars	No. of Days	No. of Days
A.	Award received on 31 October 2014 Application under Section 34 filed in the Calcutta High Court on 28 March 2016		
	Total no. of days		**514**
B.	**Less:** Period between the date of filing application under Section 34 in District Court, Port Blair on 30 January 2015 and date of dismissal of the application on 12 February 2016 [**Applying Section 14 of the Limitation Act**]	379	
C.	**Less:** Period between the application for certified copy of the order dated 12 February 2016 filed on 29 February 2016 and receipt of certified copy of the order on 3 March 2016 [**Applying Section 12 of the Limitation Act**]	4	
	Total no. of days		**383**
D.	**TOTAL DELAY**		**131**

सी.

डी.

ई.

अपीलार्थी ने इस संबंध में भारत संघ बनाम लोकप्रिय पर भरोसा किया है।

निर्माण कंपनी **(**ऊपर**)** और समेकित इंजीनियरिंग उद्यम बनाम प्रधान सचिव**,** सिंचाई विभाग **(**ऊपर**)**

एफ.

अपने मामले का समर्थन करने के लिए।दूसरी ओर, यह प्रत्यर्थी का तर्क है कि उसकी ओर से कोई जानबूझकर रुकावटें नहीं थीं और उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने में अपरिहार्य प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण देरी हुई थी।

जी.

13. 1996 के अधिनियम की धारा 34 के परन्तुक के साथ उप-धारा (3) के एक सादे पठन से पता चलता है कि धारा 34 की उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों पर परंतुक को अलग करने के लिए आवेदन तीन महीने के भीतर किया जा सकता है और पर्याप्त कारण दिखाने पर ही अवधि को तीस दिनों की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद नहीं।परंतुक ए में "लेकिन उसके बाद नहीं" परंतुक ों का उपयोग

एच.

मेसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

यह स्पष्ट करता है कि विस्तार तीस दिनों से अधिक नहीं हो सकता है।भले ही सीमा अधिनियम की धारा 14 का लाभ प्रत्यर्थी को दिया जाता है, फिर भी आवेदन दाखिल करने में 131 दिनों की देरी होगी।यह 1996 के अधिनियम की धारा 34 के परंतुक के साथ पठित उप-धारा (3) में परंतुक सख्त समय-सीमा से परे है। 131 दिनों की देरी को माफ नहीं किया जा सकता है।ऐसा करना, जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया, एक स्पष्ट वैधानिक जनादेश का उल्लंघन है।

बी.

14. प्रत्यर्थी को 31 अक्टूबर 2014 को मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार प्राप्त होने के ठीक नब्बे दिन बाद, प्रत्यर्थी ने 30 जनवरी 2015 को जिला न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर के समक्ष 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया।12 फरवरी 2016 को, जिला न्यायाधीश ने अधिकार क्षेत्र की कमी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया और 28 मार्च 2016 को, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया।जिला न्यायाधीश द्वारा आवेदन को खारिज करने के आदेश के बाद, प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने में लगभग 44 दिन (जिला न्यायाधीश द्वारा आवेदन को खारिज करने की तारीख और उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने की तारीख को छोड़कर) लगे।इसलिए, भले ही प्रत्यर्थी को जिला न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर के समक्ष कार्यवाही को आगे बढ़ाने में बिताई गई अवधि के संबंध में सीमा अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान का लाभ दिया जाता है, धारा 34 के तहत याचिका नब्बे दिनों की बाहरी अवधि से बहुत आगे दायर की गई थी।

सी.

डी.

ई.

15. प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है

भारत संघ बनाम टेको त्रिची इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स **9,** जहाँ

इस न्यायालय को उस प्रभावी तिथि का निर्णय करना था जिससे अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (3) के अर्थ के भीतर सीमा की गणना की जाएगी।दक्षिण रेलवे की ओर से मुख्य परियोजना प्रबंधक ने एक रेलवे पुल के निर्माण के लिए एक ठेकेदार के साथ अनुबंध किया था। पक्षों के बीच विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया और दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक के कार्यालय में एक निर्णय दिया गया।मुख्य अभियंता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 के

अधिनियम की धारा 34 के तहत पुरस्कार के खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत किया।विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आवेदन को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि यह सीमा द्वारा वर्जित है।इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को उलट दिया और देरी के लिए आवेदन को माफ कर दिया।इस न्यायालय ने कहा कि रेलवे जैसे विशाल संगठनों में, जिनके विभिन्न मंडल प्रमुख हैं और मंडल के भीतर विभिन्न विभाग हैं, पुरस्कार की प्रति उस व्यक्ति को प्राप्त करनी होती है जिसके पास था।

एफ.

जी.

एच.

9 (2005) 4 एससीसी 239

कार्यवाहियों का ज्ञान और पुरस्कार और चुनौती के आधार को समझने और उनकी सराहना करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होगा।इस न्यायालय ने पाया कि रेलवे के लिए सभी मध्यस्थता कार्यवाही का प्रतिनिधित्व मुख्य अभियंता द्वारा किया जा रहा था और महाप्रबंधक ने अनुबंध के तहत आवश्यकता के अनुसार मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा था।तीन महीने और 27 दिनों की देरी को माफ करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि महाप्रबंधक पर मध्यस्थता पुरस्कार की सेवा को 1996 के अधिनियम की धारा 34 (3) के उद्देश्य के लिए सीमा के प्रारंभिक बिंदु का गठन करने के लिए पर्याप्त नोटिस नहीं लिया जा सकता है। इस मामले में निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पक्ष के संबंध में कोई विवाद नहीं है।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 27 अक्टूबर 2014 को मध्यस्थ ने अपीलार्थी के पक्ष में एक निर्णय दिया और 31 अक्टूबर 2014 को भारत संघ को पुरस्कार की एक प्रति प्राप्त हुई।1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने में देरी के लिए प्रत्यर्थी द्वारा बताए गए कारणों में से एक यह था कि विभागीय कार्यालय पोर्ट ब्लेयर, अंडमान में स्थित था और चेन्नई में सर्कल कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी।1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत वैधानिक निर्धारित अवधि से ऊपर और उससे आगे की देरी को माफ करने के लिए प्रशासनिक कठिनाइयाँ एक वैध कारण नहीं होंगी।

बी.

सी.

डी.

16. इन परिस्थितियों में, हमारी यह सुविचारित राय है कि धारा 34 (3) में निर्धारित सीमा की अवधि को देखते हुए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा आवेदन दायर करने में 514 दिनों की देरी को माफ करना उचित नहीं माना।कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 27 अप्रैल 2016 को 2016 के जी. ए. संख्या 958 में दिए गए फैसले को अपास्त करना दिया गया है और अपील की अनुमति दी गई है।धारा 34 के तहत याचिका इस आधार पर खारिज की जाती है कि यह सीमा द्वारा वर्जित है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

ई.

एफ.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.